(d) whether it is not in the interest of the country in the long run to pay the same price to our farmers which is being paid to foreign farmers through import; and

(e) if so, the Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) and (b) No specific report has come to the notice of the Government.

(c) to (e) Wheat and paddy are procured for Central Pool under Minimum Suport Price Scheme on a totally voluntary basis. The Minimum Support Prices fixed by the Government are in the nature of a guarantte to the farmers/ producers that in the event of a glut in the market, or for any other reason, the prices will not be allowed, to fall below the Minimum Support Prices. The farmers are, however, free to sell their produce in the open market. The Minimum Support Price is fixed by M/o Agriculture on the recommendations of the Commission for Agricultural Cost and Prices which takes into account the cost of inputs and all other relevant factors for determining a remunerative price for agricultural produce. The interests of the farmers are thus fully protected.

However, in view of the decline in production of wheat during 1995-96, crop by 3.1 million tonnes and the fall in procurement of wheat by 4.1 million tonnes during 1996-97 marketing season, it was decided by the Govenrment to import upto 2 million tonnes of wheat in order to augment domestic availability.

खाद्यान्नों की खरीद और उनके भंडारण पर व्यय की गयी राशि

2327. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा खाद्यान्नों की किस दर पर कितनी मात्रा में खरीद की गयी;

(ख) चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की खरीद पर कितनी राशि व्यय की गयी और वर्तमान मौसम में सरकार के पास खाद्यान्नों का मद-वार कितना भण्डार उपलब्ध है;

(ग) खाद्यान्नों के वर्तमान भण्डार में से मद-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की बिक्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माधयम से तथा कितनी खुले बाजार में की गयी है;

(घ) क्या सरकार देश में बड़े पैमाने पर उपलब्ध खाद्यान्न को तथा भंडारण सुविधाओं की अपर्याप्तता को देखते हुए उचित दर की दुकानों के माध्यम से जनता को रियायती दरों पर गेहूं तथा चावल की आपूर्ति करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) पिछले तीन विपणन मौसमों के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गए चावल और गेहूं की मात्रा निम्नानुसार है:—

(आंकड़े लाख टन में)

विपणन वर्ष	चावल (चावल के हिसाब से धान सहित)	गेहूं
1994-95	134.03	118.69
1995-96	98.79	123.27
1996-97	94.23*	81.82**
	(*5.3.1997 तक)	(*** 3.3.1997 तक)

पिछले तीन विपणन मौसमों के दौरान गेहूं और धान की वसूली के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं:—

(दरः रुपये/प्रति क्विंटल)

विपणन वर्ष	धान			गेहूं
	साधारण	बढ़िया	उत्तम	
1994-95	340	360	380	350
1995-96	360	375	395	360
1996-97	380	395	415	380

पिछले तीन खरीफ विपणन मौसमों के लिए निर्धारित किए गए लेवी चावल के वसूली मूल्यों को बताने वाला एक विवरण अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 180 अनुपत्र सं॰ 49]

(ख) वसूली प्रासंगिक खर्च और स्टाक रखने के प्रभारों सहित वसूली पर खर्च की गई राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(मात्रा लाख टन में)
(करोड़ रुपयों में)

	मात्रा	खाद्यान्नों की लागत	स्टाक रखने के प्रभारों सहित वसूली प्रासंगिक खर्च	जोड़
गेहूं	81.82	3109	1133	4242
चावल	94.23	6371	573	6944
जोड़	176.05	9480	1706	11186

1.2.97 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 50.80 लाख टन गेहूं और 135.20 लाख टन चावल उपलब्ध थे।

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल का कुल आवंटन और वास्तविक उठान (जनवरी, 1997 तक) निम्नानुसार है:—

(लाख टन)

जिन्स	आवंटन	उठान
गेहूं	105.24	67.82
चावल	149.42	91.59

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को वर्तमान वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान घरेलू खुली बिक्री योजना के अधीन खुले बाजार में 45 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत किया है। इन प्राधिकारों के लिए भारतीय खाद्य निगम ने फरवरी, 1997 तक 36.33 लाख टन गेहूं और 2.37 लाख टन चावल की बिक्री की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।